स्पेशल टास्क फोर्स,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 270, दिनांक 08—09—2024

शेयर ट्रैडिंग के नाम पर बड मुनाफे का लालच देकर करीब 70 करोड रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 07—09—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को शेयर ट्रैडिंग के नाम पर बडे मुनाफे का लालच देकर करीब 70 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को थाना इन्दिरापुरम, जनपद गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1. विनोद कुमार धामा पुत्र रिछपाल नि0 ग्राम पावला बेगमाबाद, जनपद बागपत
2. रविन्दर उर्फ नवाब पुत्र महावीर निवासी उपरोक्त

बरामदगीः—

1. 06 अदद मोबाईल फोन
2. कम्पनी से सम्बन्धित अकाउंट नम्बर व अकाउंट डिटेल

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

दिनांक—07.09.2024 स्थानः मोहन मिकन सोसायटी, फ्लेट नं0—1017 सेक्टर—5 वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम, जनपद गाजियाबाद समय 22.15 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से जनता के सीधे—साधे व्यक्तियों को बडे मुनाफे का लालच देकर शेयर ट्रैडिंग के नाम पर पैसे निवेश कर उनसे धोखाधडी करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 मेरठ की टीम उप—निरीक्षक श्री अरूण कुमार निगम के नेतृत्व उ0नि0 श्री दुर्वेश डबास, उ0नि0 संजय कुमार, हे0कां0 अंकित श्योरान, हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 दीपक कुमार, आपराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में मामूर थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि विनोद कुमार धामा उपरोक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर जनता के व्यक्तियों से धोखाधडी कर ट्रैडिंग शेयर के नाम से मोटी रकम लेकर उन्हें लालच देकर पैसा निवेश कराते हैं और ज्यादा पैसा खाते में हो जाने के बाद कम्पनी बन्द कर देते हैं तथा किसी दूसरे स्थान पर नये नाम से कम्पनी बना लेते हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी कल्प वृक्ष ट्रैडिंग मास्टर टैक्नोलोजी प्रा0लि0 के नाम से नोएडा के एच—87, सेक्टर—63 में तथा हाट सिक्योरिटी लि0 व आयुर्वेद इण्डिया लि0 के नाम से गाजियाबाद में भी ट्रैडिंग फर्म खोली थी, जिसमें करोड़ो का निवेश होने के बाद कम्पनी बन्द कर यहां पर छिपे हुये हैं। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए टीम ने मुखबिर के बताये स्थान

मोहन मिकन सोसायटी, फ्लेट नं0—1017 सेक्टर—5 वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद पर पहुँचकर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आयेः—

- विनोद कुमार धामा ने शेयर ट्रैडिंग का काम करने वाली अमेरिकन कम्पनी ''एम—वे'' में कुछ दिनो काम किया था जहां पर उसने आन लाईन शेयर ट्रैडिंग का काम सीखा।
- वर्ष 2022 में विनोद कुमार धामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा में एच—87 सेक्टर—63 में आनलाईन ट्रैडिंग के लिए ''कल्प वृक्ष ट्रैडिंग मास्टर टैक्नोलोनी प्रा0लि0'' एंव ''ट्रैडिंग मास्टर'' कम्पनी बनाकर रजिस्टर्ड करायी थी, जिसका मालिक विनोद धामा व प्रवीण धामा उर्फ सोनू तथा डायरेक्टर विनोद धामा व रोहित खान थे।
- उक्त कम्पनी के अतिरिक्त विनोद कुमार धामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रैडिंग के लिए एक ट्रैडिंग बोट मास्टर नितेश, नामक व्यक्ति से 05 लाख रूपये में आनलाईन खरीदी थी, जिसके माध्यम से आनलाईन आटोमेटिकली ट्रैडिंग होती थी, जिसका इन लोगों द्वारा आम जनता में प्रचार—प्रसार करके लोगो को पैसे निवेश करने के लिए लालच दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश करने व प्रतिमाह 10 से 15 प्रतिशत ब्याज देने का प्रलोभन दिया।
- उक्त गैंग द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जोडने के लिए एक स्कीम निकाली जिसके तहत कुछ लीडर बनाये और उनकी आई0डी0 बनाकर उन्हें टारगेट दिया और अधिक से अधिक धन निवेश करने पर ईनाम भी रखा, जिस कारण बनाये गये लीडरों द्वारा अधिक से अधिक आम जनता के लोगों से उक्त कम्पनी में पैसे निवेश कराये गये।
- निवेशकों को 3 से 4 माह तक कुछ पैसा उनके अकाउण्ट में ट्रांसफर करने के पश्चात यह इन लोगों ने उक्त ट्रैडिंग कम्पनी बन्द कर दी तथा निवेशको से प्राप्त शेष रूपयों को अपने व अपने साथियों के खाते में ट्रांसफर कर अपने मोबाईल बन्द कर नये पते पर किराये का मकान ले लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सेक्टर—63 जिला मध्य (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर) पर मु0अ0सं0 401/2024 धारा 318(4)/111(2)(बी)/111(3)/111(4)/316(2)/61(2)(ए) व 66 आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त विनोद कुमार धामा का आपराधिक इतिहास</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	264/23	420/406/467/468/471/120बी भादवि	उद्योगनगर	सीकर, राजस्थान
2	587/23	420/406/120बी भादवि	उद्योगनगर	सीकर, राजस्थान
3	286/23	406/420 भादवि,5टी एसपीडीएफई एक्त, 3/4/5/6 प्राईस चीट्स एंड मनी सरकुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट	सेंट्रल क्राईम स्टेशन	हैदराबाद